बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या : 166 पटना, दिनांक : 26/02/09

संख्या 11/नि 0–02–13/91 (खंड) भारत के संविधान की अनुच्छेद 243 छ सपठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या 1226 दिनांक 11.07.2006) एवं बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली (संशोधित) 2008 (अधिसूचना संख्या 1339 दिनांक 25.08.08) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(i) यह नियमावली बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 के नियम 4 का संशोधन :–

उक्त नियामवली, 2006 के नियम 4 के उप नियम (क) के खंड (II) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा। परन्तु बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

उक्त नियामवली, 2006 के नियम 4 के उप नियम (ख) के खंड (II) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा। परन्तु बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य के डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।

3. बिहार जिला परिषद्– माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2008 (संशोधित) में संशोधन :–

उक्त नियामवली के नियम 4 के उपनियम (VII) के खंड "अ" में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा। परन्तु बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11/नि 0-02-13/91 (खंड) 166 पटना, दिनांक : 26/02/09

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11/नि 0-02-13/91 (खंड) 166 पटना, दिनांक : 26/02/09

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय आयुक्त/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव